1-LNP

Regd. ③ ④

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

प्रेषक :-
अधिशासी अभियन्ता (व्यवसायिक)
...........विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद
संख्या 760/अधि० अनु०/265 (ज़ोन) 99

सेवा में,
श्री Sebasti L. Ray SJ - Director
NISCORT - CBCI Society for Social Communication Research & Training
1 Ashok Place N Delhi - 1
दिनांक 17-12-99

विषय वैशाली योजना में भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपकी संस्था को वैशाली योजना में स्थल अनुसार 2.5 से 3.00 एकड़ के बीच भूमि उपलब्ध हो सकती है। साइट प्लान अनुसार भूखण्ड विशेष की स्थिति के अनुसार Payment Schedule जारी किया जायेगा। शासनादेशानुसार भूमि की दर वर्तमान आवासीय सैक्टर दर @ 5000/- Per sq.mt. के 50% पर ली जायेगी। आवंटित स्थल के साथ उपलब्ध ग्रीन बैल्ट क्षेत्र में से शासनादेशानुसार खेल के मैदान हेतु भूमि आवंटन पर भी विचार किया जा सकता है। कृपया शीघ्र अपनी सहमति भिजवाने का कष्ट करें।

अधि० अभि० (व्यव०)
GDA

1-DOC

(5) 5

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

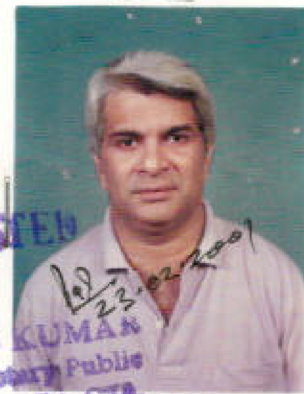

प्रेषक :
संयुक्त सचिव/विशेषाधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

श्री/श्रीमती डायरेक्टर निस्कार्ट - सी॰बी॰सी॰आई॰ सोसायटी फार सोशल कम्यूनिकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, सी॰बी॰सी॰ आई॰ सेन्टर

पत्रांक : 63/आग॰अनु/2001/वि॰ प्रा॰ गा॰/भूखण्ड २००। दिनांक 13-3-2001

विषय : प्लाट संख्या — स्थित वैशाली सै॰-1

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्लाट की निशानदेही/माप/हेतु दिनांक 20/3/2001 नियत की गई है। कृपया आप अपने साथ लीज डीड, साइट प्लान तथा अन्य सम्बन्धित कागजात लेकर सम्बन्धित अवर अभियन्ता से सायंकाल ३ बजे से ५ बजे के बीच सम्पर्क स्थापित कर समय आदि निश्चित कर लें। इस भूखण्ड का क्षेत्रफल 12030-86 वर्ग गज/मीटर है।

भवदीय

[signature]

अधिशासी अभियन्ता
~~संयुक्त सचिव/विशेषाधिकारी~~
(व्यवसायिक)

[signature]
CBCI Society for Social Communications
Research & Training
C.B.C.I. Centre 1, Ashok Place New Delhi-1

पृष्ठांकन सं॰ /वि॰ प्रा॰ गा॰/२०० दिनांक

प्रतिलिपी :

सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्लाट की निशान देही के बाद आवश्यक मीमो भूखण्ड अनुभाग को रिकार्ड हेतु भिजवाने का कष्ट करें।

~~संयुक्त सचिव/विशेषाधिकारी~~
अधिशासी अभियन्ता
(व्यवसायिक)

1. Sebasti L. Raj
SEBASTI L. RAJ
S. LAZARUS
B-1266 Palam Vihar

2. [signature]
Fr. Jose Plachickal
Joseph
P.B. 25, Palam Vihar Ggn.-17

\# 13593

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. | Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

200

कार्यालय कोषागार गाजियाबाद
- 3 OCT 2001
मुख्य कोषाधिकारी

Attached to

A-2 Sector I. Vaishali. Gaziabad

CBCI Society for Social Communications
Research & Training
C.B.C.I. Centre 1, Ashok Place New Delhi-1

- 8 OCT 2001

क्र० 15 ता० .... सन 2001 नाम ....
शामिल सं० .... में शामिल किया।
5.10.2001

कृष्णपाल सिंह लाइ० नं० .../93
स्टाम्प विक्रेता
तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

सी-बी सी-आई. सोसाईटी फॉर सोशल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सिक्योरिटी।

P.T.O

Society for Social Research & Training

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

200

1 ? SEP 2001

आवासीय

शिव राज सिंह
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

CPCI Society for Social Communications
Research & Training
C.B.C.I. Centre 1, Ashok Place New Delhi-1

क्र० सं० 14 दिनांक 14-9-2001 मूल्य 100/- CBCI Society for Soc. Com... & Tour (NISCORT)

नं० ...... में अंकित किया है।
वीरेन्द्र मल्होत्रा स्टाम्प विक्रेता
लाइ० नं०-107, कोर्ट परिसर गाजियाबाद
14-9-2001

L.D.

5000 / 20 रजि० शुल्क 20 प्रतिलिपि शुल्क 5040 योग P. 2994245 शब्द लगभग 2994245

श्री [illegible]
पुत्र श्री ...... गोरेगा
निवासी [illegible]
ने यह लेखपत्र कार्यालय सब रजिस्ट्रार गा०बाद चतुर्थ में आज
दिनांक 8/10/2001 समय 3-4 बजे प्रस्तुत किया।

सब रजिस्ट्रार IV

8/10/2001

प्रलेख के निष्पादन तथा प्राप्ति धनराशि नकद रु० 2994245
मैं श्री [illegible]
मैट्रिया मुख्तार आम [illegible]
अधिशासी अधिकारी/उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गा०बाद का मुख्तार नामा आम तस्दीक हुआ दिनांक 6/7/2001 अन्त कार्यालय उ० नि० IV गा०बाद ने स्वीकार किया मुख्तार आम से मैं स्वयं परिचित हूँ और उन्हें चिन्ह अंगूठे से पुष्टि करता हूँ तथा इस प्रलेख के निष्पादन से हुआ था [illegible]

कार्यालय उप रजिस्ट्रार-IV गाजियाबाद

शिव राज सिंह
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

~~आवासीय~~ क्षेत्र स्कूल के निर्माणार्थ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भूमि के पट्टा

यह विलेख सन 2001 के माह [illegible] के 3 दिन को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जिसे आगे चलकर प्राधिकरण कहा गया है, जिस शब्द में जब तक प्रसंग से प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी तथा अभयार्थिती सम्मिलित होंगे) प्रथम पक्ष तथा [illegible] 110001 [illegible]

(जिसे आगे चलकर द्वितीय पक्ष कहा गया है, जिस शब्द में जब तक प्रसंग से प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि तथा अनुभव प्राप्त अभ्यर्पित सम्मिलित होंगे। द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया । चूंकि भवनों की निर्माणार्थ भूखण्ड के निस्तारण से संबंधित बनाये गये नियमों के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित सैटबैक तथा रेखाचित्र के अनुसार स्कूल भवन के निर्माण हेतु आगे चलकर वर्णित भूखण्ड को पट्टे पर देने और पट्टे पर प्राप्त करने को सहमत हुए ।

अतः यह पट्टा विलेख निम्न बातों का साक्षी है :

1. कि रूपये 2,99,42,450/- ([illegible]) प्रीमियम के प्रतिफल स्वरूप जिसमें रूपये 2,99,42,450/- ([illegible])

का भुगतान एवं लीजरेन्ट रुपये [illegible] ([illegible]) का भुगतान पट्टेदार द्वारा प्राधिकरण को किया जा चुका है। उन्होंने जिसकी प्राप्ति प्राधिकरण द्वारा एतद् स्वीकार की जाती है तथा एतद् द्वारा आरक्षित किराये और उसमें उल्लिखित प्रसंविदाओं प्राधिकारों तथा अनुबन्धों तथा पट्टेदार द्वारा क्रमशः उनके भुगतान अनुपालन तथा सम्पादन किये जाने के प्रतिफल स्वरूप भी प्राधिकरण एतद् द्वारा गाजियाबाद में [illegible] जिसका क्षेत्रफल 11976.98 वर्ग मीटर है, जिसका सीमांकन निम्न प्रकार है:

अ. उत्तर की ओर : [illegible]

क्रमशः.......2...... पर

शिव राज सिंह
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

C.C.I Society for Social Communications
Research & Training
C.B.C.I. Centre 1, Ashok Place New Delhi

जिनकी पहचान श्री ....

पुत्र श्री ....

निवासी ....

व श्री ....

पुत्र श्री ....

निवासी .... ने की

सब रजिस्ट्रार-IV

8/10/2001

... साक्षी ... के निशानी अंगूठा नियमानुसार ... होते है।

सब रजिस्ट्रार-IV

P.T.O →

8/10/2001

Sources of Information ...

There are a variety of sources where the political reporter can look up records, verify facts and do other sundry and related matters connected to his beat before going to press. These sources include:

1. The Political Parties
2. The State House or Government House or Government Secretariat

द. दक्षिण की ओर [illegible]

स. पूरब की ओर 45' चौड़ी सड़क

द. पश्चिम की ओर ग्रीन बैल्ट

और उपर्युक्त भूखण्ड की सीमाओं को संलग्न रेखाचित्र मे दिखाया गया है और उसमें लाल रंग से रंग किया गया है, यह सभी भूखण्ड एतद्द्वारा पट्टेदार को पट्टे पर देता है, ताकि पट्टेदार उक्त भूखण्ड (जिसे आगे चलकर पट्टा भूखण्ड कहा गया है) और उस से सम्बद्ध अधिकारों के दिनांक 20-3-001 से 90 वर्ष (नब्बे वर्ष) की अवधि के लिए धारण करें, किन्तु प्रथम पक्ष के पक्ष में निम्नलिखित अधिकार सदैव आरक्षित होगें:-

(क) यदि प्राधिकरण उक्त क्षेत्र का विकास किया जाना आवश्यक समझे पट्टा भूखण्ड के नीचे तथा ऊपर जल सम्वाहक, नालियों, सीवरों या बिजली के तारों के डालने बनाने या बिछाने के अधिकार ।

(ख) पट्टा भूखण्ड या उसके किसी भाग में होने वाले सभी खानों और खनिजों के सम्पूर्ण अधिकार तथा ऑगन ।

(ग) 90 वर्ष की लीज रेन्ट प्रीमियम का 10 प्रतिशत रुपये 29,94,247 (उन्तीस लाख चौरानवे हजार दो सौ सैंतालीस मात्र) भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जिसकी प्राप्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है । लीज रेन्ट के विषय में जो भी विकास प्राधिकरण का निर्णय बाद में हुआ, वह दूसरे पक्ष को मान्य होगा ।

(1) 90 वर्ष का लीज रेन्ट प्रीमियम 10 प्रतिशत रुपये 29,94,247 (उन्तीस लाख चौरानवे हजार दो सौ सैंतालीस) किया जा चुका है ।

शिव राज सिंह
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

क्रमशः.......3...... पर

CBCI Society for Social Communications
Research & Training
C.B.C.I. Centre 1, Ashok Place New Delhi-1

There are a variety of sources where the political reporter can look up records, verify facts and do other sundry and related matters connected to his beat before going to press. These sources include:

1. The Political Parties
2. The State House or Government House or Government Secretariat

(2) पट्टेदार सभी दरों, करों परिव्ययों और प्रत्येक के ऐसे अवधारणों को, जो उक्त अवधि में पटल भूखण्ड पर था उस पर निर्मित होने वाले भवन के सम्बन्ध में स्वामी या किरायेदार या अध्यासी पर आधारित, पारित या आरोपित किये जाये, वह भुगतान तथा निस्तारण करेगा ।

(3) कि पट्टेदार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और नगर पालिका, गाजियाबाद को वर्तमान या भविष्य में प्रभावी सभी ऐसे उपविधियों तथा नियमों का पालन एव अनुपालन करेगा, जो स्थयी सम्पत्ति के निवासियों के स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा पर प्रभाव डालते हों ।

(4) कि पट्टेदार अपने खर्च से पट्टा भूखण्ड पर प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित रेखाचित्र वाहय अद्विक्षेप तथा डिजाइन और स्थिति के अनुसार एक स्कूल के लिए भवन का सारभूत एवं शिल्प कौशल रूप में निर्माण करायेगा, जिसमें स्कूल भवन, नालियों, शौचालयों तथा संयोजनों के सम्बन्ध मे विहित प्राधिकरण तथा तरग पालिका नियमावली तथा उप विधियों के अनुसार सभी आवश्यक सीवरों, नालियों तथा अनुसंलग्नकों का प्राविधान होगा ।

(5) कि पट्टेदार सदैव प्राधिकरण के संतोषानुसार पट्टा तथा स्कूल भवन को अच्छा और सारभूत प्रकार से मरम्मत करवायेगा और उन्हें स्वच्छ दशा में रखेगा ।

(6) कि पट्टेदार प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्राधिकरण सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित रेखाचित्र तथा अनुमत की शर्तो के अनुसार स्कूल भवन या पट्टा भूखण्ड पर तत्समय होने वाले निर्माणार्थ की पट्टेदार प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्राधिकरण समक्ष अधिकारी द्वारा अनुमोदित रेखाचित्र तथा अनुमति की शर्तो के प्रतिकूल उक्त स्कूल भवन या पटटा भूखण्ड पर तत्समय होने वाले निर्माणों में न तो कोई परिवर्धन या परिवर्तन करेगा या उनके किये जाने की अनुमति देगा और ना कोई नया निर्माण करेगा अथवा करने की अनुमति देगा और यदि ऐसी शर्तो या रेखाचित्रों से किसी प्रकार का कोई अन्तर होगा तो वह प्राधिकरण को नोटिस की प्राप्ति के तुरन्त बाद ऐसे अन्तर को सही करने में असावधानी करेगा तो प्राधिकरण के लिए वह वैध होगा कि पट्टैदार के खर्चे पर ऐसे उत्तर को सही करवा

शिव राज सिंह
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

क्रमशः.......4...... पर

CBCI Society for Social Communications
Research & Training
C.B.C.I. Centre 1, Ashok Place New Delhi-1

There are a variety of sources where the political reporter can look up records, verify facts and do other sundry and related matters connected to his beat before going to press. These sources include:

1. The Political Parties
2. The State House or Government House or Government Secretariat

लें और इस पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध मे पट्टेदार एतद् द्वारा करार करता है कि वह उक्त धनराशि की जिसे प्राधिकरण तदर्थ निश्चित करें तथा जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा, प्रतिपूर्ति भुगतान द्वारा प्राधिकरण को कर देगा ।

(7) पट्टेदार प्राधिकरण की सहमति के बिना उक्त पट्टा भूखण्ड तथा उस पर निर्मित स्कूल भवन का उपयोग न तो किसी धार्मिक प्रयोजनार्थ या उपरिलिखत प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ करेगा या किये जाने की अनुमति देगा । पट्टेदार उक्त भूखण्ड अथवा स्कूल भवन पर या उनके किसी भाग पर न तो कोई ऐसा कार्य करेगा और न करायेगा जो प्राधिकरण को या अस पटीस के अन्य भू-स्वामी स्वामियों या अध्यासियों को बैठक स्वच्छ प्रतीत हो या जिससे उन्हें क्षति, अड़चन या असुविधा होती हो ।

(8) कि पट्टेदार किसी भी दशा में प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना पट्टा भूखण्ड का अभ्यपूर्ण परित्याग (प्राधिकरण के पक्ष के अतिरिक्त) न करेगा और न बंधक रखेगा और न ही उसे शिकमी उठायेगा या अंतरित करेगा और न ही उस पर होने वाले दखल को छोड़ेगा। प्राधिकरण को अपने सविवेकानुसार ऐसी अनुमति प्रदान करने या न करने का अधिकार होगा और ऐसी अनुमति प्रदान किये जाने की दशा में प्राधिकरण अपने साथ ऐसे अनुबन्ध के निष्पादन किये जाने हस्तान्तरित के उपेक्षा करेगा, जिसे प्राधिकरण प्रस्तुत करेगा ।

(9) कि पट्टेदार भुखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्र से कम उसके किसी भाग को तथा उस पर बनी स्कूल भवन को या उनके किसी भाग को या दोनों को न तो अभ्यर्पित व परित्याग करेगा और न ही उन्हें बंधक रखेगा और न शिकमी उठायेगा और न अन्तरित करेगा और न ही वह उन्हें खण्डित करके या किसी अन्य प्रकार से उनका उप विभाजन करेगा ।

(10) भूखण्ड का प्रयोग केवल स्कूल भवन के निर्माण के लिए किया जायेगा अन्य किसी प्रयोग में भूमि नहीं लाई जायगी । स्कूल भवन किसी भी व्यक्ति के रहने के लिए किराये पर नहीं दिया जावेगा । स्कूल भवन का प्रयोग केवल स्कूल के लिए ही किया जावेगा । ऐसा न करने पर प्राधिकरण को भूमि को निर्माण सहित वापिस लेने का अधिकार सुरक्षित है ।

[signature]

BCI Society for Social Communications
Research & Training
B:C:I: Centre 1, Ashok Place New Delhi-1

[signature]
[illegible] सिंह
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

क्रमशः.......5...... पर

Sources of Information

There are a variety of sources where the political reporter can look up records, verify facts and do other sundry and related matters connected to his beat before going to press. These sources include:

1. The Political Parties
2. The State House or Government House or Government Secretariat

(11) कि पट्टेदार प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों और उसके कर्मकारों तथा उसके द्वारा समय संवायोजित अन्य व्यक्तियों को उक्त अवधि के दौरान सभी समुचित समयों पर पट्टा भूखण्ड तथा उस पर निर्माण किये जाने वाली स्कूल भवन में प्रवेश करने की अनुमति देगा जिससे कि वेतन का निरीक्षण तथा पूर्वांकित वर्णित आवश्यक कार्यों का निरीक्षण कर सकें पर ऐसा किये जाने के पूर्व प्राधिकरण पट्टेदार को उक्त प्रयोजनार्थ तीन दिनों का पूर्व नोटिस देगा ।

(12) कि पट्टेदार प्राधिकरण द्वारा निहित शिल्पकला तथा द्विक्षेप निरूत्त्रण के अनुसार भवन का निर्माण करेगा । अर्ध प्रथक मकानों की दशा मे जिनमें दोनों प्लाट धारक विहित उद्विक्षेप से अतिरिक्त उद्विक्षेप को ग्रहण करना चाहें, तो प्राधिकरण ऐसे पट्टेदारों को ऐसा किये जाने की अनुमति प्रदान कर देगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि दोनों की ऊँचाई तथा सैटबैक एक ही हों ।

(13) कि सिवाय उस सीमा तक जिसके लिए प्राधिकरण ने पट्टेदार को लिखित अनुमति प्रदान की हो, पट्टेदार पट्टा भूखण्ड के किसी भाग पर न तो कोई अस्तबल शेड या अन्य किसी प्रकार के निर्माण कार्य करेगा अथवा घोड़े, चौपायें, कुत्ते, कुलकुलबट या अन्य पशु रखने के लिए स्थान बनायेगा और न ही उनके बनाये जाने की अनुमति देगा ।

(14) यदि अग्नि तूफान, बाढ़ या सेना या अनियंत्रण भीड़ द्वारा किये गये हिंसा पूर्वक कार्यो या अन्य अप्रतिरोध शक्ति प्रयोग के कारण पट्टा भूखण्ड का कोई सारभूत भाग पूर्णतया या आंशिक रूप से नष्ट हो जाए या वह भवन प्रयोजनार्थ सारभूत रूप से या स्थायी रूप से अनुपयुक्त हो जाए तो ऐसी दशा में पट्टेदार न तो इस पट्टे को समाप्त करने के अपने विकल्प को काम मे लायेगा और नहीं उनके कारण हुई क्षति को पूर्ति कराने के उद्देश्य से प्राधिकरण को उत्तरदायी ठहरायेगा ।

शिव राज सिंह
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

CBCI Society for Social Communications
Research & Training
C.B.C.I: Centre 1, Ashok Place New Delhi-1

क्रमशः.......6...... पर

(15) पट्टेदार को पट्टा भूखण्ड आवंटन के ~~पर पट्टा~~ की दिनांक से 5 वर्ष तक स्कूल भवन का निर्माण करना और उसे पूरा करना आवश्यक होगा । समय पर निर्माण पूर्ण नहीं किया गया तो भूमि वापिस ले ली जायेगी ।

(16) और इस विलेख के पक्षों द्वारा उनके बीच एतद् द्वारा निम्नलिखित सम्बन्ध में सहमति और घोषणा की जाती है ।

(क) इसके पूर्व किसी बात के अन्यथा होते हुये भी यदि प्राधिकरण के मतानुसार (जिसका निर्णय अन्तिम तथा मान्य कर होगा) पट्टेदार अथवा उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा पूर्व की शर्तों या प्रसंविदाओं में से किसी का उलंघन किया गया हो, जिनका पालन तथा संपादन किया जाना उनका कर्तव्य था तथा विशेषतया और इस उपखंड की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि पट्टेदार पूर्ववत प्रविधानों के अनुसार सम्पूर्ण पट्टा भवन पर स्कूल भवन निर्माण करने के पूर्व पट्टा भूखण्ड का अन्तरण परित्याग बंधक या अभ्यापर्ण करता है या अन्तरित भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्र के कम का अन्तरण परित्याग बंधक या अभ्यापर्ण करता है या पूर्वांकित खण्ड 2 (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर इस विलेख में उल्लिखित प्रीमियम की किसी किश्त का भुगतान नहीं करता है या यदि पट्टेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें इस पट्टे के अधिकार एतद्द्वारा निहित किये गये हों, दिवालिया निर्णत हो गया है या प्राधिकरण के लिए वह वैध होगा कि (अनुबंध के उल्लंघन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करने के किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) वह पट्टा या उसमें किसी भाग पर अंतरित सम्पूर्ण भूखण्ड के नाम पर पुनः प्रवेश कर ले और यह पट्टा समाप्त हो जायेगा और तत्पश्चात यदि पुनः प्रवेश के समय, पट्टेदार द्वारा पट्टा भूखण्ड पर स्कूल भवन का निर्माण किया गया हो, तो पट्टेदार पुनः प्रवेश के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर उस पर से सभी निर्माण कार्य या स्कूल भवन जुडनार तथा वस्तुएं जो किसी समय या उक्त अवधि के दौरान उक्त भू-खण्ड पर या उसमें जुडी या लगायी गयी हो, हटा लेगा और उक्त स्थान को ऐसी अच्छी दशा में लायेगा, जैसा कि पट्टा देने के समय थी, पर उपरोक्त के संबंध मे चूक किये जाने पर वे उक्त भूखण्ड और उस पर होने वाले आवश्यक

शिव राज सिंह
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

क्रमशः.......7...... पर

CBCI Society for Social Communications
Research & Training
C.B.C.I. Centre 1, Ashok Place New Delhi-1

जुडनार और वस्तुओं के संबंध में पट्टेदार को किसी प्रकार का भुगतान किये बिना प्राधिकरण की सम्पत्ति हो जायेगी । यदि पट्टेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्माण कार्यो स्कूल भवन, जुडनारों और वस्तुओं को हटा लेता है तो पट्टा भूखण्ड का पुनः आवंटन कर लिया जायेगा।

(ख) यदि प्राधिकरण को पट्टेदार द्वारा या उसके माध्यम या अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्ववत शर्तों के उल्लघंन के कारण पट्टा भूखण्ड का एक नया पट्टा स्वीकार करने के कारण कोई हानि हो, वहन करनी पडती, तो ऐसी हानि की वसूली प्राधिकरण द्वारा पट्टेदार से की जा सकेगी ।

(ग) यदि इस विलेख के अधीन किसी नोटिस के दिये जाने की उपेक्षा की गई हो तो वह उस दशा में पट्टेदार पर दी गई यथेष्ट समझी जायेगी जबकि वह प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षतरित की गई हो, और उसे पट्टा भूखण्ड पर छोड़ दिया गया हो और प्राधिकरण की किसी निर्णय की अधिसूचना को ऐसे निर्णय या यथेष्ट साक्ष्य उस दशा में समझा जावेगा जबकि उस पर प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर हों ।

उसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख के पक्षों के ऊपर उल्लिखित दिवस तथा वर्ष को अपने अपने हस्ताक्षर किये ।

[signature]
शिव राज सिंह
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

CBCI Society for Social Communications
Research & Training
C.B.C.I. Centre 1, Ashok Place New Delhi-1
[signature]

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

साक्षी : Jose P. S/o Joseph
B-1266, Palam Vihar, Ggn

साक्षी : Johnson M.J S/o Joseph
B-1266, Palam Vihar, Ggn

CBCI Society for Social Communications
Research & Training
C.B.C.I. Centre 1, Ashok Place New Delhi-1

नोट: यह कि उक्त भूखण्ड का अनुबन्ध पत्र दिनांक 8/5/2001 को सब रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद के यहाँ बही नं 1 जिल्द नं 1391 पृष्ठ 42/53 क्रमांक 2274/75 दिनांक 8/5/2001 को रजिस्टर्ड किया गया। जिस पर स्टाम्प शुल्क रु 1308450/- लगाया गया।
[signature]

शिव राज सिंह
अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

1565 242 257 13593

8/10/21

IV गाजियाबाद

सत्यमेव जयते